गया है कि पाऊडर के रूप में छिड़की जाने वाली कीटनाशी दवाइयों का 10–20 प्रतिशत तथा फुहारे के रूप में छिड़की जाने वाली दवाइयों का 25 से 50 प्रतिशत भाग पौधे की सतह पर पड़ता है और एक प्रतिशत से कम भाग लक्षित कृमि तक पहुंचता है । कीटनाशी दवाई छिड़कने के लिये बहुत उचित लक्ष्य का पता लगाने के लिये जमीन पर कृमि के पूरे जीवन चक्र में उसके आचरण को ध्यानपूर्वक जांच करना जरूरी है अर्थात् कृमि नियंत्रण की कार्य नीति के कई लक्ष्य हो सकते हैं जैसे कि वह वनस्पति जिस पर छोटे कृमि अपना आहार प्राप्त करते हैं, पत्तों आदि में छिद्र करने वाले तथा पत्ते खाने वाले एवं पौधों में छिप कर रहने वाले कृमियों या मिट्टी में रहने वाले कृमियों पर नियंत्रण के लिये जड़ों में दवाई छिड़कना या पौधे रूपी छतरी जहां से पक्षियों और बीजकोषों को खाने वाले कृमियों द्वारा तनों और पर्णवृन्तों से घातक खुराक चसी जाती है । खरपतवार नाशक दवाइयों के मामलों में इस्तेमाल की विधि केवल लक्ष्य पर ही नहीं वरन् इस बात पर भी निर्भर करेगी कि खरपतवार नाशक दवा पौधों को कितनी सरलता से बींधती है और उनमें किस हद तक फैलती है ।

कीटनाशी दवा अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत भारत में कीटनाशी दवाओं के अनिवार्य पंजीकरण के लिये अपेक्षित उनके विषाक्तता संबंधी व्यापक अध्ययन इस प्रकार बनाये गये हैं कि मनुष्यों, पशुओं तथा उनसे संबंधित सामग्री का सुरक्षा सुनिश्चित रहे । इस योजना के अन्तर्गत निर्माता, मृदा, पानी और फसलों में अवशेषों से संबंधित आंकड़े तैयार करके पंजीकरण समिति को (जो कीटनाशी दवाओं के पंजीकरण के लिये जिम्मेदार समिति है) विस्तृत मूल्यांकन के लिये प्रस्तुत करते हैं । जिन कीटनाशी दवाओं के अवशेष सह्य सीमा से अधिक नहीं पाये जाते, उनका इस देश में प्रयोग करने के लिये पंजीकरण किया जाता है । अतः, कीटनाशी दवाइयों के कारण पर्यावरण के प्रदूषण द्वारा पेचिश, दमा, हृदय रोग, कैं, सिरदर्द, दृष्टि-हीनता, पागलपन आदि होने का प्रश्न ही नहीं होता ।

(ख) कम मात्रा में छिड़काव, दानेदार कीटनाशी दवाइयों का उपयोग, बीजोपचार, तथा कीटनाशी दवाओं के उपयोग का बेहतर समय निर्धारण जैसी इस्तेमाल की उन्नत प्रौद्योगिकी का सुझाव दिया जाता है । भारत सरकार ने कीटनाशी दवाओं के विभिन्न वर्गों के लिये ऐसे दल गठित किये हैं जिन्होंने विभिन्न कीटनाशी दवाइयों का अनुमोदित उपयोग निर्धारित करने के लिये सारांश तैयार किये हैं, जिनमें प्रभावी कीटनाशी दवाइयों की संस्तुत मात्रा, अन्तराल और प्रतीक्षा की अवधियां सुझाई गई हैं जो विभिन्न कीटनाशी दवाइयों को तरजीह दी जाती है जिनसे स्तनधारी जीवों में विषाक्तता कम हो ।

उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये कीटनाशी दवा नियम, 1971 के अन्तर्गत प्रत्येक कीटनाशी दवा की पैंकिंग में एक पर्चा रखना होगा जिसमें वनस्पति रोग कीटों, एवं हानिकर पशुओं या खरपतवार का ब्यौरा जिनके लिये वह कीटनाशी दवा इस्तेमाल की जानी हो, इस्तेमाल के समय उस कीटनाशी दवा को प्रयोग में लाने की विधि संबंधी पर्याप्त निर्देश, मनुष्यों, पशुओं एवं जंगली जानवरों के लिये हानिकारक रसायनों का विवरण, चेतावनी और सावधानी संबंधी विवरण, उपयुक्त चेतावनी सहित कीटनाशी दवा को भण्डारित करने तथा इस्तेमाल करने संबंधी सावधानियां युक्त डिब्बों आदि को प्रदूषण रहित बनाने या उनके सुरक्षित निपटान संबंधी हिदायतें और विषनिवारक दवा का विवरण विस्तृत रूप में दिया हुआ होगा । ये पर्चे अंग्रेजी, हिन्दी तथा एक क्षेत्रीय भाषा में छापे जाते हैं ।

**Import of coal for steel plants**

2417. SHRI J. P. GOYAL: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether Government import coking coal for steel plants;

(b) if so, what is the quantity of coking coal imported during the last three years, year-wise for this purpose;

(c) what is the total amount of foreign exchange spent on the import of coking for steel plants each year during the last three years; and

(d) what measures have been taken by Government to improve production of good quality of coal in the country to minimise dependence on imports for the supply of coking coal to steel plants in the country?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI K. C. PANT): (a) to (c) The Steel Authority of India Ltd. (SAIL) have been importing low ash metaliurgical coking coal of prime grade variety primarily to cover the shortfall between the yearly coking coal requirement and its corresponding availability from domestic sources.

The quantity of coking coal imported by SAIL during the last three years and its approximate C&F value are given below:

| Year | Quantity in million tonnes | Approximate C & F Value |
|---|---|---|
| | | (Rupees in Crores) |
| 1983-84 | 0.463 | 37 5 |
| 1984-85 | 0.665 | 55.8 |
| 1985-86 | 2.034 | 161.8 |

(d) In order to augment supply of coking coal to the steel plants, Coal India Limited is taking up new projects for coking coal mines and also expediting the commissioning of new washeries. Necessary action for the modernisation and modifications of the existing washeries is also being taken by Coal India Limited.

**Central Organisation for Marketing Fertiliser**

2418. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government propose to establish a Central Organistion for marketing of fertilisers; and

(b) if so, what are the deatils thereof and what are the advantages of such an organisation?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF FERTILIZER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. PRABHU): (a) and (b) A Working Group has been set up to examine whether it would be desirable to set up a Central Organistion for marketing of fertilisers. It has not yet submitted its report.

**Financial assistance to Maharashtra to fight scarcity conditions**

2419. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Maharashtra has sought Rupees 450 crores from the Centre to fight scarcity conditions in the state; and

(b) if so, what decision has been taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) and (b) Yes, Sir. The Government of Maharashtra has submitted a memorandum on 12-11-1986 seeking Central assistance of Rs. 450.51 crores. It has been decided to depute a Central Team to make an assessment of the requirement of Central assistance.